बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० 320 /ग्रा०वि०पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2007ई०।

ग्रा०वि०/स्था०(स०प०/सूचना)-32/2006

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0-129-सह पठित ज्ञापांक-3889 दिनांक 07.05.2007 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 के तहत विभाग के लिए नामित लोक सूचना पदाधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध अपील सुनने के लिए श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अभिहीत किया गया है। श्री सिंह, अपीलीय प्राधिकारी को अवकाश में रहने अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त अपील को निष्पादित करने के लिए किसी विभागीय पदाधिकारी को अभिहीत नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में अपील संबंधित कार्यों का निष्पादन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव-सह-अपीलीय पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अवकाश में रहने अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने के फलस्वरूप उनके द्वारा सम्पादित किये गये अपील से संबंधित कार्यों का निपटारा श्री उदय कान्त लाल दास, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना करेंगे।

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

3. कार्यालय आदेश सं0-129 दिनांक 07.05.07 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(के० पी० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।